रामप्रसाद उर्फ सेडूराम बनाम लैण्डहोल्डर

नाम मुकदमा प्राण्पत्र 136 L.R.Act नं. ....10.......... सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23-3-2015 प्रार्थी रामप्रसाद उर्फ सेडूराम पुत्र गेन्दया जाति माली निवासी ~~###~~ नौगांव की ओर से यह प्राण्पत्र 136 L.R.Act के तहत श्री रविशंकर शर्मा Adv. ने प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्राण्पत्र दर्ज किया जाकर लैण्ड होल्डर तह० गंगापुर की तलबी की जावे एवं प्राण्पत्र पर उनकी टिप्पणी भी ली जावे। पत्रावली दि० 5-5-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	5-5-15 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / ~~वकील~~ ~~उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 26-5-15 कैम्प नौगांव पर ~~को~~ पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	1373-74 / 14/5/10
	26-5-2015 पत्रावली कैम्प नौगांव पर लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अपने नाम का संशोधन व पिता के नाम का संशोधन राज रेकार्ड के अनुसार चाहता है। अतः मूल पत्रावली नायब तहसीलदार तलावडा को ~~के~~ दी जाकर लेख है कि वे प्रार्थी के प्राण्पत्र पर प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार आज मौके आम में जाँच कर रिपोर्ट आज ही प्रस्तुत करें। (हस्ताक्षर)	
	26-5-15 नायब तहसीलदार तलावडा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। ना० तह० तलावडा ने प्रसाद पुत्र गोरधन के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र गेंदया शुद्ध करने की सिफारिश की है। अतः प्रस्तुत अभिलेख नकल जमाबंदी सं० ~~####~~ 2016, रिपोर्ट नायब तहसीलदार तलावडा के अनुसार ग्राम नौगांव	(अंगूठा निशान) नि० रामप्रसाद उर्फ सेडूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जमाबंदी सं० 2069-72 के खाता सं० 118,119 मे दर्ज प्रविष्टि परसाद पुत्र गोरधन के स्थान पर प्रविष्टि रामप्रसाद पुत्र गेंदया दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातो मे दर्ज अन्य विवरण यथावत रहेगा। इसी अनुसार पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (मुनिदेव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	